

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (Government of India : Ministry of Home Affairs)
हैदराबाद : Hyderabad- 500 052.

Inter Office Note

Sub : Notified Recruitment Rules for the post of Constable (Band) -Reg

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Constable (Band) is enclosed herewith for uploading the same in the Academy website under "Recruitment Rules" column.


(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

The Assistant Director (IT)
SVP NPA, Hyderabad.

No.19011/1/2009/Estt- Constable (Band)

Dated 30 Jan, 2018

Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruitment	Deputation, failing which by direct recruitment.	Deputation. - officer of the Central Government, (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department and possessing the Educational Qualifications prescribed at column 8. Note 1 : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organization/department shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— 1. Deputy Director -Chairman 2. Assistant Director -Member; and 3. Chief Medical Officer -Member	Not applicable.

[F. No. 23011/11/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 453.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के कांस्टेबल (बैंड) भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कांस्टेबल (बैंड) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कांस्टेबल (बैंड) भर्ती नियम, 2017 है।
 (ii) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कांस्टेबल (बैंड)	15* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर — 1	लागू नहीं होता
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अन्य राज्यों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	शैक्षणिक अर्हताएं — आवश्यक : 3. मान्यताप्राप्त बोर्ड मैट्रिक्यूलेशन या दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और ; 4. कोई भी एक वाद्ययंत्र जैसे, शहनाई, कॉर्नेट, यूफोनियम, तुरई, सैक्सोफोन, बास ड्रम, साइड ड्रम बजाने का ज्ञान होना चाहिए। वांछनीय — 1. मान्यताप्राप्त बोर्ड से इंटरमीडियट ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति — केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल / राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे पदधारी ;

		1. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हो; 2. 03 वर्ष की नियमित सेवा रखते हो ; और 3. स्तंभ 7 में अधिकथित शैक्षणिक अर्हता रखते हो। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) विद्यमान हैं तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह – ग विभागीय प्रोन्नति समिति –	लागू नहीं होता
1. उप निदेशक — अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक — सदस्य 3. निरीक्षक (बैंड) — सदस्य	

[फा. सं. 23011/35/2017-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 2017

G.S.R. 453.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Constable (Band) Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable (Band) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Constable (Band), Recruitment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—the number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, the Other Backward class and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix.	Whether Selection Post or Non-Selection Post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Constable (Band)	15* (2017) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group-C Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-1 in the Pay Matrix	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Educational Qualifications: Essential: (i) Matriculation or 10 th class from a recognised Board; and (ii) Should have knowledge of playing any one instrument like Clarinet, Cornet, Euphonium, Trombone, Saxophone, Bass Drum, Side Drum. Desirable: (i) Intermediate from a recognised Board.	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
two years	By deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

Deputation:

Officials from amongst Central Armed Police Forces/State Police Organisations :-

- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;
- (ii) having 03 years of regular service; and
- (iii) possessing the educational qualifications laid down under column (7).

Note 1 : The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years further extendable as per Government of India orders.

Note 2: The upper age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Deputy Director - Chairman (ii) Assistant Director - Member; and (iii) Inspector (Band) - Member	Not applicable

[F. No. 23011/35/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 454.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद (कैमरामैन, ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक और स्टूडियो परिचर) भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उनके संबंध स्टूडियो परिचर से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में स्टूडियो परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (स्टूडियो परिचर) भर्ती नियम, 2017 है।
- (ii) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,